[2018] 6 एस.सी.आर 1139

केरल सहायक लोक अभियोजक संघ

बनाम

केरल राज्य एवं अन्य

(सिविल अपील संख्या 3792/2010)

17 मई, 2018

[मुख्य न्यायाधीश, दीपक मिश्रा, ए. एम. खानविलकर और डॉ. डी. वाई. चंद्रचूड़, न्यायमूर्तिगण]

सेवा विधि–राज्य में लोक अभियोजकों के साथ सेवानिवृत्ति की आयु के मामले में सहायक लोक अभियोजकों को समानता प्रदान करने के लिए दावा किया गया। उच्च न्यायालय द्वारा याचिका खारिज कि गई–अपीलरथी द्वारा तर्क किया गया कि लोक अभियोजकों की 3 वर्ष कि अवधि किनियुक्ति के लिए अधिकतम आयु 60 वर्ष है; जबकि 31 मार्च, 2013 से पहले नियुक्त सहायक लोक अभियोजकों की सेवानिवृत्ति की आयु 56 वर्ष है– क्योंकि दोनों न्यायालय के अधिकारियों के रूप में कार्य करते हैं, सहायक लोक अभियोजक भी लोक अभियोजकों और अन्य अधिकारियों से समानता के अधिकारी हैं जिनकी सेवानिवृत्ति की आयु 60 वर्ष निर्दिष्ट की गई है– अपील मे निर्धारित किया गयाः उच्च न्यायालय द्वारा निकाले गए निष्कर्ष में कोई त्रुटि नहीं है– सहायक लोक अभियोजकों और लोक अभियोजकों की नियुक्ति का तरीका और सेवा की शर्तें गुणात्मक रूप से अलग हैं– सहायक लोक अभियोजकों की नियुक्ति केरल लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित एक प्रतिस्पर्धी चयन प्रक्रिया के माध्यम से की जाती है और वे सभी सेवा लाभों के हकदार हैं जो अन्य सरकारी कर्मचारियों को बिना किसी अपवाद के प्राप्त होते हैं– लोक अभियोजकों की नियुक्ति महाधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत अधिवक्ताओं के एक पैनल से 3 वर्ष की अवधि के लिए की जाती है और उन्हें सरकारी कर्मचारी नहीं माना जाता है और वे सरकारी कर्मचारियों की तरह कोई सेवा लाभ प्राप्त नहीं करते हैं– मात्र इस आधार पर कि सहायक लोक अभियोजकों और लोक अभियोजकों के कर्तव्यों और कार्यों की प्रकृति समान है, लोक अभियोजकों के साथ समानता का दावा करने का आधार नहीं हो सकता है। धार 24 एवं 25– दंड प्रक्रिया संहिता, केरल सेवा नियम –60 (ख) से (घ)– केरल सरकार विधि अधिकारी (नियुक्ति और सेवा की शर्तें) और मामलों का संचालन नियम, 1978।

सेवा विधि–अपीलार्थी संघ ने तर्क किया कि 1 अप्रैल, 2013 को या उसके बाद नियुक्त सहायक लोक अभियोजक हैं जिनकी सेवानिवृत्ति की आयु 60 वर्ष है; जबकि 31 मार्च, 2013 से पहले नियुक्त सहायक लोक अभियोजक हैं जिनकी सेवानिवृत्ति की आयु 56 वर्ष है–अपीलार्थी ने मांग की कि 31 मार्च, 2013 से पहले नियुक्त सहायक लोक अभियोजकों की सेवानिवृत्ति की आयु को 60 वर्ष के बराबर लाया जाए– इसके अलावा, वैकल्पिक रूप से यह अनुरोध किया गया कि सहायक लोक अभियोजक सेवा की अतिरिक्त अवधि के लिए पेंशन छोड़ने के लिए तैयार हैं जो 56 वर्ष की आयु से 60 वर्ष तक जमा होगी–अभिनिर्धारित: सहायक लोक अभियोजकों की सेवा की शर्तें जो

31 मार्च, 2013 को या उससे पहले नियुक्त किए गए थे और जो 1 अप्रैल, 2013 को या उसके बाद नियुक्त हुए थे, वे अलग–अलग हैं– इसमें, 31 मार्च, 2013 को या उससे पहले नियुक्त किए गए लोग अन्य सरकारी कर्मचारियों की तरह सेवा नियमों के तहत वैधानिक पेंशन योजना द्वारा शासित होते हैं; और 1 अप्रैल, 2013 को या उसके बाद नियुक्त किए गए लोग नई अंशदायी पेंशन योजना द्वारा शासित होते हैं जो सभी सरकारी कर्मचारियों पर लागू होती है और सहायक लोक अभियोजकों तक सीमित नहीं होती है– यदि पेंशन छोड़ने के लिए अपीलकर्ता की वैकल्पिक याचिका स्वीकार कर ली जाती है, तो यह विसंगति पैदा करेगी और 31 मार्च, 2013 से पहले नियुक्त किए गए बाकी सरकारी कर्मचारियों के लिए भी भेदभाव और कठिनाई पैदा करेगी, क्योंकि वे 56 वर्ष की आयु में सेवानिवृत्त होंगे।– इसके अतिरिक्त यह एक शासकीय नीति का विषय है– अपीलरथी संबंधित राज्य शासन के समक्ष प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिए स्वतंत्र है और संबंधित राज्य प्राधिकरण विधि से सुसंगत निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र है।

याचिका निरस्त करते हुए न्यायालय द्वारा अभिनिर्धारित किया गया,

निर्णय:

1. 31 मार्च, 2013 को या उससे पहले नियुक्त सहायक लोक अभियोजकों को 60 वर्ष की सेवानिवृत्ति की आयु के संबंध में समानता देने के अपीलार्थी के दावे को निरस्त करने में उच्च न्यायालय द्वारा लिए गए निष्कर्ष में कोई त्रुटि नहीं है।उच्च न्यायालय ने सही निर्णय किया है कि सहायक लोक अभियोजकों और लोक अभियोजकों की नियुक्ति का तरीका और सेवा की शर्तें गुणात्मक रूप से अलग हैं।सहायक लोक अभियोजकों की नियुक्ति केरल लोक सेवा आयोग द्वारा प्रचलित नियमों के अनुसार आयोजित एक प्रतिस्पर्धी चयन प्रक्रिया के माध्यम से की जाती है। नियुक्ति के बाद, सहायक लोक अभियोजक अन्य सरकारी कर्मचारियों के समान सभी सेवा लाभों के हकदार होते हैं। इसके विपरीत, लोक अभियोजकों की नियुक्ति महाधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत अधिवक्ताओं के एक पैनल से की जाती है और लोक अभियोजकों की नियुक्ति का कार्यकाल केवल 3 साल की अवधि के लिए होता है।उन्हें सरकारी कर्मचारी नहीं माना जाता है और उन्हें सरकारी कर्मचारियों की तरह कोई सेवा लाभ नहीं मिलता है। बिना कोई कारण बताए, नियुक्ति की सामान्य अवधि समाप्त होने से पहले उन्हें शासन द्वारा किसी भी समय समाप्त किया जा सकता है। राज्य शासन पात्रता के अधीन आगे की अवधि के लिए लोक अभियोजक के रूप में नियुक्त किसी भी व्यक्ति को फिर से नियुक्त करने के लिए भी स्वतंत्र है।यह तथ्य कि सहायक लोक अभियोजकों और लोक अभियोजकों के कर्तव्यों और कार्यों की प्रकृति समान है, सेवानिवृत्ति की आयु के संबंध में लोक अभियोजकों के साथ समानता का दावा करने का आधार नहीं हो सकता है।

2. 31 मार्च, 2013 को या उससे पहले नियुक्त सहायक लोक अभियोजकों और 1 अप्रैल, 2013 को या उसके बाद शामिल होने वालों की सेवानिवृत्ति की आयु में असमानता के संबंध में, उक्त तर्क भी भी स्वीकार योग्य नहीं है क्योंकि सहायक लोक अभियोजकों के संबंधित समूह की सेवा की शर्तें अलग हैं। इसमें, 31 मार्च, 2013 को या उससे पहले नियुक्त किए गए लोग सेवा नियमों के तहत वैधानिक पेंशन योजना द्वारा शासित होते हैं, जैसा कि अन्य सरकारी कर्मचारियों के मामले में होता है और 1 अप्रैल, 2013 को या उसके बाद नियुक्त किए गए सभी शासकीय कर्मचारियों नई अंशदायी

पेंशन योजना द्वारा शासित होते हैं, जो सहायक लोक अभियोजकों तक सीमित नहीं है। सहायक लोक अभियोजक राज्य सरकार के कर्मचारियों की शैली का केवल एक छोटा सा वर्ग है–चाहे वह 31 मार्च, 2013 से पहले या 1 अप्रैल, 2013 को या उसके बाद नियुक्त किया गया हो, या तो वैधानिक पेंशन योजना या नई अंशदायी पेंशन योजना, जैसा भी मामला हो, द्वारा शासित हो।

3. अपीलार्थी संघ द्वारा एक वैकल्पिक याचिका दायर की गई थी कि 31 मार्च, 2013 को या उससे पहले नियुक्त अपीलार्थी संघ के सदस्य और जो अभी भी सहायक लोक अभियोजक के रूप में कार्य कर रहे हैं, यदि वे 60 वर्ष तक कार्यरत रहते हैं, तो 56 वर्ष की आयु से 60 वर्ष तक की सेवा की अतिरिक्त अवधि के लिए अपनी पेंशन का परित्याग करने के लिए तैयार हैं। इस प्रस्ताव को स्वीकार करने से 1 अप्रैल से पहले नियुक्त बाकी सरकारी कर्मचारियों के लिए विसंगति, भेदभाव और कठिनाई पैदा होगी। 2013 में वे सभी 56 वर्ष की आयु में सेवानिवृत्त होंगे। यह एक नीतिगत मामला है जिसे राज्य सरकार पर छोड़ दिया जाना बेहतर है। यदि शासन अपने सदस्यों की ओर से अपीलार्थी द्वारा दिए गए प्रस्ताव को स्वीकार करती है तो यह एक अलग मामला होगा। अपीलार्थी संबंधित राज्य प्राधिकरण के समक्ष प्रतिनिधित्व करने के लिए स्वतंत्र है, जो विधि मे सुसंगत उचित निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र होगा।

सिविल अपीलीय अधिकारिता: सिविल अपील संख्या 3792/2010

केरल उच्च न्यायालय, एर्नाकुलम द्वारा दिनांक 07.03.2018 को के डब्ल्यू.ए. संख्या 514/2008 में पारित आदेश एवं निर्णय से।

आर. बसंत, सीनियर एड., पी. एस. सुधीर, मनु कृष्णन जी., श्रीमती नागेंथेरा रॉय, निशे राजन शोंकर, अनु के. जॉय, ए. अनवर, ई. एम. एस. अनम, लिज़ मैथ्यू, जी. प्रकाश, एड.उपस्थित पक्ष के लिए।

न्यायालय का निर्णय पारित करने वाले न्यायमूर्ति:

ए. एम. खानविलकर

1. अपीलकर्ता संघ ने एर्नाकुलम केरल उच्च न्यायालय की खंड पीठ द्वारा 2008 की रिट अपील No.514 में पारित 7 मार्च, 2008 के फैसले और आदेश के विरुद्ध अपेयल कि है, जिसमें उच्च न्यायालय ने राज्य में लोक अभियोजकों के साथ सेवानिवृत्ति की आयु के मामले में सहायक लोक अभियोजकों को समानता देने के दावे को निरस्त कर दिया है।

2. अपीलार्थी के अनुसार, सहायक लोक अभियोजकों को दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 25 (संक्षेप में "संहिता") के अनुसार अभियोजन चलाने के लिए मजिस्ट्रेट अदालत में नियुक्त किया जाता है। लोक अभियोजकों को संहिता की धारा 24 के तहत सत्र न्यायालय में प्रकरण चलाने के लिए भी नियुक्त किया जाता है। सहायक लोक अभियोजकों और लोक अभियोजकों के कर्तव्यों, कार्यों और शक्तियों की प्रकृति समान है। लोक अभियोजकों के 3 वर्ष कि अवधि के लिए की नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु 60 वर्ष है, जबकि 31 मार्च, 2013 से पहले नियुक्त सहायक लोक अभियोजकों की सेवानिवृत्ति की आयु 56 वर्ष है। यह तर्क किया गया है कि केरल राज्य में न्यायिक अधिकारियों

की सेवानिवृत्ति की आयु भी 60 वर्ष है। लोक अभियोजक के साथ–साथ सहायक लोक अभियोजक न्यायालय में उपस्थित होने पर न्यायालय के अधिकारियों के रूप में कार्य करते हैं और दोनों की आपराधिक न्याय प्रणाली में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इन दावों पर, अपीलार्थी का दावा है कि सहायक लोक अभियोजक भी लोक अभियोजक के बराबर व्यवहार किए जाने के हकदार हैं जिनकी सेवानिवृत्ति की आयु 60 वर्ष निर्दिष्ट है।

3. यह कहा गया है कि 1 अप्रैल, 2013 को या उसके बाद नियुक्त 61 सहायक लोक अभियोजक हैं जिनकी सेवानिवृत्ति की आयु 60 वर्ष है; जबकि 31 मार्च, 2013 से पहले नियुक्त 90 सहायक लोक अभियोजक हैं जिनकी सेवानिवृत्ति की आयु 56 वर्ष है। इस प्रकार, सहायक लोक अभियोजकों के कर्तव्यों और जिम्मेदारियों की प्रकृति और इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि वे लोक अभियोजकों के समान कर्तव्यों और कार्यों का निर्वहन करते हैं और विशेष रूप से, 150 सहायक लोक अभियोजकों और 61 जिला लोक अभियोजकों की मौजूदा संवर्ग संख्या, और केरल सेवा नियमों के नियम 60 (बी) से (डी) में उल्लिखित अधिकारी, जिनकी सेवानिवृत्ति की आयु 60 वर्ष निर्धारित की गई है, 31 मार्च, 2013 से पहले नियुक्त सहायक लोक अभियोजकों की सेवानिवृत्ति की आयु को 60 वर्ष के बराबर लाया जाना चाहिए। वैकल्पिक रूप से यह तर्क दिया जाता है कि 1 अप्रैल, 2013 को या उसके बाद सेवा में शामिल होने वाले सहायक लोक अभियोजकों की सेवानिवृत्ति की आयु 60 वर्ष है, इसलिए अपीलकर्ता संघ के सदस्य जो 31 मार्च, 2013 से पहले नियुक्त किए गए हैं और अभी भी सहायक लोक अभियोजकों के रूप में कार्य कर रहे हैं, वे सेवा की अतिरिक्त अवधि के लिए पेंशन छोड़ने के लिए तैयार हैं जो 56 वर्ष की आयु से 60 वर्ष तक बिना किसी बाधा के जमा होगी।

4. इसके विपरीत, प्रत्यर्थी राज्य का कहना है कि सहायक लोक अभियोजकों और लोक अभियोजकों की नियुक्ति का तरीका और सेवा की शर्तें पूरी तरह से अलग हैं। सहायक लोक अभियोजकों का चयन केरल लोक सेवा आयोग द्वारा उनकी योग्यता और आरक्षण के नियमों के अनुसार, एक प्रतियोगी परीक्षा आयोजित करने और नियमों के अनुसार रैंक सूची तैयार करने के बाद किया जाता है। इस प्रकार नियुक्त सहायक लोक अभियोजक उन सभी सेवा लाभों के हकदार हैं जो किसी भी अन्य सरकारी कर्मचारी द्वारा प्राप्त किए जाते हैं और उनकी सेवा की अन्य सरकारी कर्मचारियों की तुलना में कोई विशिष्ट विशेषता नहीं है। इसके विपरीत, लोक अभियोजकों की नियुक्ति सरकार द्वारा केरल सरकार के विधि अधिकारी (नियुक्ति और सेवा की शर्तें) और मामलों का संचालन नियम, 1978 के तहत महाधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत अधिवक्ताओं के एक पैनल से की जाती है। लोक अभियोजकों की नियुक्ति का कार्यकाल 3 साल की अवधि के लिए होता है और पात्रता के अधीन उन्हें सरकार द्वारा आगे की अवधि के लिए फिर से नियुक्त किया जा सकता है। सरकार बिना कोई कारण बताए लोक अभियोजक की नियुक्ति की अवधि समाप्त होने से पहले किसी भी समय उसकी सेवा समाप्त करने के लिए स्वतंत्र है। विशेष रूप से, सार्वजनिक अभियोजक किसी भी सेवा लाभ के हकदार नहीं हैं क्योंकि वे सरकारी कर्मचारी नहीं हैं। जहां तक 1 अप्रैल, 2013 को या उसके बाद नियुक्त सहायक लोक अभियोजकों का संबंध है, सेवानिवृत्ति की आयु अन्य सरकारी कर्मचारियों के बराबर है और नई अंशदायी पेंशन योजना की शुरुआत के परिणामस्वरूप, इसे कट–ऑफ तिथि के बाद सभी नियुक्तियों पर लागू किया जाता है। 31 मार्च, 2013 को या उससे पहले

नियुक्त सहायक लोक अभियोजक, अन्य सरकारी कर्मचारियों की तरह वैधानिक पेंशन के लाभ के हकदार हैं, जिनकी सेवानिवृत्ति की आयु 56 वर्ष तय की गई है। 31 मार्च, 2013 को या उससे पहले नियुक्त सहायक लोक अभियोजकों के दावे को स्वीकार किए जाने की स्थिति में, यह एक विसंगति पैदा करेगा और 1 अप्रैल, 2013 से पहले नियुक्त शेष सरकारी कर्मचारियों के लिए भेदभाव और कठिनाई पैदा करेगा, क्योंकि वे 56 वर्ष की आयु में सेवानिवृत्त होंगे।

5. प्रत्यर्थीगण के अनुसार, अपीलार्थी द्वारा दायर 2005 की रिट याचिका (सिविल) No.12703 को 8 जून, 2006 को विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा न्यायोचित रूप से निरस्त कर दिया गया था और खंड पीठ ने विवादित निर्णय के माध्यम से 7 मार्च, 2008 को 2008 की रिट अपील No.514 में उस निर्णय की पुष्टि की थी। विद्वान एकल न्यायाधीश के साथ–साथ खंड पीठ ने नोट किया है कि लोक अभियोजक न्यायिक अधिकारी नहीं हैं और विशेष रूप से, सहायक लोक अभियोजकों और लोक अभियोजकों की सेवा के नियम और शर्तें अलग हैं। इसके अलावा, सहायक लोक अभियोजक केरल सेवा नियमों के अनुसार सेवा शर्तों द्वारा शासित होते हैं, जो सभी सरकारी कर्मचारियों पर समान रूप से लागू होते हैं।प्रत्यर्थी राज्य प्रस्तुत करता है कि विद्वान एकल न्यायाधीश और उच्च न्यायालय की खंड पीठ द्वारा लिए गए विचार में कोई दुर्बलता नहीं है और इस कारण से यह अपील गुणदोष से रहित है।

6. हमने उभयपक्ष के तर्कों पर विचार किया है और अभिलेखों की जांच करने के बाद, हम 31 मार्च, 2013 को या उससे पहले नियुक्त सहायक लोक अभियोजकों को 60 वर्ष की सेवानिवृत्ति की आयु के संबंध में समानता देने के अपीलार्थी के दावे को निरस्त करने में उच्च न्यायालय द्वारा किए गए निष्कर्ष में कोई त्रुटि नहीं पाते हैं। उच्च न्यायालय ने सही निर्णय किया है कि सहायक लोक अभियोजकों और लोक अभियोजकों की नियुक्ति का तरीका और सेवा की शर्तें गुणात्मक रूप से अलग हैं। सहायक लोक अभियोजकों की नियुक्ति केरल लोक सेवा आयोग द्वारा प्रचलित नियमों के अनुसार आयोजित एक प्रतिस्पर्धी चयन प्रक्रिया के माध्यम से की जाती है। नियुक्ति के बाद, सहायक लोक अभियोजक सभी सेवा लाभों के हकदार हैं जैसा कि बिना किसी अपवाद के अन्य सरकारी कर्मचारी हकदार होते है। इसके विपरीत, लोक अभियोजकों की नियुक्ति महाधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत अधिवक्ताओं के एक पैनल से की जाती है और लोक अभियोजकों की नियुक्ति का कार्यकाल केवल 3 वर्ष की अवधि के लिए होता है। उन्हें शासकीय कर्मचारी नहीं माना जाता है और उन्हें शासकीय कर्मचारियों की तरह कोई सेवा लाभ नहीं मिलता है। बिना कोई कारण बताए, नियुक्ति की सामान्य अवधि समाप्त होने से पहले उन्हें सरकार द्वारा किसी भी समय समाप्त किया जा सकता है। सरकार पात्रता के अधीन आगे की अवधि के लिए लोक अभियोजक के रूप में नियुक्त किसी भी व्यक्ति को फिर से नियुक्त करने के लिए भी स्वतंत्र है। यह तथ्य कि सहायक लोक अभियोजकों और लोक अभियोजकों के कर्तव्यों और कार्यों की प्रकृति समान है, सेवानिवृत्ति की आयु के संबंध में लोक अभियोजकों के साथ समानता का दावा करने का आधार नहीं हो सकता है।

7. केरल न्यायिक सेवा में अधिकारियों और नियम 60 (बी) से (डी) में निर्दिष्ट अन्य अधिकारियों की 60 वर्ष की सेवानिवृत्ति की आयु के बारे में तथ्य पर अपीलार्थी द्वाराकिया गया तर्क भी अपीलार्थी के लिए कोई लाभप्रद नहीं है। यह तथ्य कि सहायक लोक अभियोजकों को लोक अभियोजकों के मामले में न्यायालय के अधिकारी माना जाता है, उन्हें उन न्यायिक अधिकारियों के

साथ तुलना करने का कोई आधार नहीं हो सकता है जिनकी नियुक्ति का तरीका और सेवा की शर्तें अलग हैं। इस विवाद का निर्णय केवल लोक अभियोजकों और सहायक लोक अभियोजकों के कर्तव्यों और कार्यों की प्रकृति की तुलना के आधार पर नहीं किया जा सकता है।

8. 31 मार्च, 2013 को या उससे पहले नियुक्त सहायक लोक अभियोजकों और 1 अप्रैल, 2013 को या उसके बाद शामिल होने वालों की सेवानिवृत्ति की आयु में असमानता के संबंध में, उक्त तर्क भी गुणों से रहित है क्योंकि सहायक लोक अभियोजकों के संबंधित समूह की सेवा की शर्तें अलग हैं। 31 मार्च, 2013 को या उससे पहले नियुक्त किए गए लोग सेवा नियमों के तहत वैधानिक पेंशन योजना द्वारा शासित होते हैं, जैसा कि अन्य सरकारी कर्मचारियों के मामले में होता है और 1 अप्रैल, 2013 को या उसके बाद नियुक्त किए गए लोग सभी शासकीय कर्मचारियों के लिए लागू की गई नई अंशदायी पेंशन योजना द्वारा शासित होते हैं, जो सहायक लोक अभियोजकों तक सीमित नहीं है। सहायक लोक अभियोजक राज्य सरकार के कर्मचारियों की शैली का केवल एक छोटा सा वर्ग है–चाहे वह 31 मार्च, 2013 से पहले या 1 अप्रैल, 2013 को या उसके बाद नियुक्त किया गया हो, या तो वैधानिक पेंशन योजना या नई अंशदायी पेंशन योजना, जैसा भी मामला हो, द्वारा शासित हो। यह ध्यान दिया जाए कि राज्य सरकार द्वारा नई अंशदायी पेंशन योजना शुरू करने के लिए 1 अप्रैल, 2013 की कट–ऑफ तिथि निर्धारित नहीं है।

9. इस स्थिति को महसूस करते हुए, अपीलकर्ता संघ द्वारा एक वैकल्पिक याचिका दायर की गई है कि 31 मार्च, 2013 को या उससे पहले नियुक्त अपीलकर्ता संघ के सदस्य और जो अभी भी सहायक लोक अभियोजक के रूप में कार्य कर रहे हैं, यदि वे 60 वर्ष तक बने रहते हैं, तो बिना किसी आपत्ति के, 56 वर्ष की आयु से 60 वर्ष तक की अतिरिक्त सेवा अवधि के लिए अपनी पेंशन छोड़ने के लिए तैयार हैं। यह तर्क आकर्षक होने के बावजूद राज्य सरकार को इस तरह का निर्देश जारी करने का आधार नहीं हो सकता है। हम प्रत्यर्थी राज्य से सहमत हैं कि इस प्रस्ताव को स्वीकार करने से 1 अप्रैल, 2013 से पहले नियुक्त शेष सरकारी कर्मचारियों के लिए विसंगति, भेदभाव और कठिनाई पैदा होगी क्योंकि वे सभी 56 वर्ष की आयु में सेवानिवृत्त होंगे। इसके अतिरिक्त, यह एक नीतिगत मामला है जिसे राज्य सरकार पर छोड़ दिया जाना बेहतर होगा। यदि सरकार अपने सदस्यों की ओर से अपीलार्थी द्वारा दिए गए प्रस्ताव को स्वीकार करती है तो यह एक अलग मामला होगा। हम इस संबंध में कोई राय व्यक्त नहीं करते हैं। अपीलार्थी संबंधित राज्य प्राधिकरण को एक अभ्यावेदन देने के लिए स्वतंत्र है जो उचित विधि से सुसंगत निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र होगा जैसा।हम और नहीं कहते हैं।

10. यह अपील, हमारी राय में, गुणदोष से रहित है और इसलिए इसे व्यय के संबंध में कोई आदेश दिए बिना निरस्त किया दिया जाता है।

याचिका निरस्त की गई।